न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी	—	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.
दीवानी विविध प्रकरण संख्या	—	17 / 2020
सी. आई. एस. संख्या	—	17 / 2020
सी. एन. आर. संख्या	—	RJMR-16000034-2020

प्रार्थीगण :—

1. खेताराम पुत्र सुरजनराम,
2. जगदीश पुत्र बिरमराम,

   निवासीगण विष्णुनगर, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राज.)।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. रामाकिशन पुत्र रूपाराम,
2. मायादेवी पत्नी रामाकिशन,
3. शांति देवी पत्नी रूपाराम,

   निवासीगण सिरसला, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर (राज.),
4. इन्द्रा देवी पुत्री दानाराम, निवासी बुटाटी, हाल निवासी पत्नी नारायणराम निवासी मूण्डवा, तहसील मूण्डवा, जिला नागौर (राज.),
5. भंवरी देवी पत्नी दानाराम, निवासी बुटाटी, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राज.)
6. उप पंजीयन अधिकारी, सांजू, तहसील सांजू, जिला नागौर (राज.),
7. तहसीलदार, डेगाना, जिला नागौर (राज.)।

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :—

1. श्री सहदेव प्रसाद स्वामी, विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री जीयाराम रायल, विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3

3. श्री भवानी सिंह, विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5
4. श्री त्रिलोकचन्द शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 7

—:: आदेश ::— दिनांक :— 24.03.2026

1. प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि विवादित खातेदारी भूमि (जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दिया गया है) दानाराम के खातेदारी की थी। स्वर्गीय दानाराम के एकमात्र वारिस पुत्री इन्द्रादेवी अप्रार्थी संख्या 4 है। उक्त स्वर्गीय दानाराम के फौतगी म्यूटेशन 709/2020 खोला जाकर उक्त पुत्री के नामसे जरिये म्यूटेशन खातेदारी दर्ज की गई, जिस पर खातेदार दर्ज होने के पश्चात सायलान ने पूर्व में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 14.02.2018 के आधार पर विक्रय दस्तावेज दोनों सायलान ने शामलाती उक्त खसरान का क्रय दस्तावेज यानी बेचान दस्तावेज संख्या 202003176100332 दिनांक 01.06.2020 को अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर रजिस्टर्ड अप्रार्थी संख्या 6 के समक्ष करवा दिया एवं माफिक बेचान उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं प्रार्थीगण को उक्त वर्णित भूमि के बाबत तमाम प्रकार के हक एवं अधिकार व उपयोग व उपभोग से संबंधित सर्वाधिकार बतौर क्रेता प्राप्त हो गये, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने कूटरचित दस्तावेजात व उत्तराधिकार के आधार पर आधारहीन दावा उपखंड अधिकारी डेगाना के समक्ष राजस्व वाद पेश किया एवं उक्त भूमि बाबत दखलन्दाजी की। अप्रार्थी संख्या 4 के पिता स्वर्गीय दानाराम की शादी अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा देवी की माता भंवरी देवी के साथ हुई थी। उक्त भंवरी देवी श्री हरकाराम की पुत्री थी। उक्त शादी के पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा देवी का जन्म उनकी माता भंवरी देवी की कोख से पिता दानाराम

के साथ विवाह एवं सहवास के दौरान हुवा, जब अप्रार्थी संख्या 4 की उम्र ढाई–तीन साल की थी। तब उक्त अप्रार्थी संख्या 4 के माता–पिता में अनबन हो गई तथा स्वर्गीय दानाराम अपनी खातेदारी की जमीन को बेचने लगे, इसकी जानकारी होने पर समाज के व्यक्तियों ने ईकट्ठा होकर दिनांक 10.01.1981 को पंचायती कर पुत्री अप्रार्थी संख्या 4 व उसकी माता भंवरी देवी का जमीन में हक होने से लिखापढ़ी में यह शर्त रखी गई कि दानाराम भंवरी से खिलाफ होकर जमीन बेचे, तो उसके जिम्मेदार उक्त लिखापढ़ी में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की होगी, जिस लिखापढ़ी से स्वयं दानाराम भी पाबन्द था, उसने उक्त लिखापढ़ी को मंजूर कर मौतबीर व्यक्तियों की उपस्थिति में स्वीकार कर अगुंष्ठ निशान किये थे। उक्त दानाराम इस लिखापढ़ी से मृत्यु पर्यन्त बाध्य था। उक्त लिखापढ़ी आज दिन प्रभाव में है तथा इस लिखापढ़ी आज दिन तक किसी अन्य लिखापढ़ी से रद्द नहीं किया गया है। दिनांक 12.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रामाकिशन, मायादेवी ने उक्त भूमि जो उक्त दिनांक को अप्रार्थी संख्या 4 के पिता दानाराम के नाम से दर्ज थी उक्त भूमि का कूटरचित दस्तावेज विक्रय विल्लेख तैयार कर निष्पादन करवाने व उक्त जमीन छल के आशय से अप्रार्थी संख्या 4 को सदोष हानि पहुँचाने व स्वयं सदोष लाभ प्राप्त करने के आशय से अप्रार्थी संख्या 4 के पिता दानाराम के नाम से उक्त कृषि भूमि का विक्रय विलेख स्टाम्प खरीदकर, लिखापढ़ी करवाकर दानाराम के दस्तावेजात जमीन व परिचय संबंधी लगाकर अन्य व्यक्ति को दानाराम बताकर मिथ्या प्रतिरूपेण उक्त दानाराम का अंगुष्ठ निशान प्रत्येक पेज पर उक्त दस्तावेज पर कर एवं करवाकर गलत पहचान साक्षीगण के गलत हस्ताक्षर करवाकर दानाराम की जानकारी एवं सहमति के बिना छल के आशय से उप पंजीयन कार्यालय सांजू को यह कहकर प्रवंचित किया कि उनके समक्ष उपस्थित दानाराम है। दानाराम की उपस्थिति, सहमति एवं जानकारी के बिना बेचान दस्तावेज संख्या 201801176001870 दिनांक 12.09.2018 को खसरा नम्बर 317 रकबा

1.4300 हेक्टर सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या 2 माया देवी पत्नी रामाकिशन निवासी सिरसला एवं दूसरा बेचान दस्तावेज उसी दिन दिनांक 12.09.2018 को विक्रय दस्तावेज संख्या 201801176001871 को अप्रार्थी संख्या 1 रामाकिशन पुत्र श्री रूपाराम, निवासी सिरसला के पक्ष में खसरा नम्बर 121 रकबा 0.8296 हैक्टर का फर्जी तैयार करा दिया तथा यह जानते हुवे कि उक्त दस्तावेजात फर्जी है। दानाराम की मौत का इन्तजार करते हुवे अपने कब्जे में रखा एवं दानाराम की मृत्यु दिनांक 19.05.2018 को हो जाने एवं अप्रार्थी संख्या 4 का एकमात्र पुत्री उत्तराधिकारी की हैसियत से म्यूटेशन हो जाने एवं विक्रय हो जाने के बाद उक्त फर्जी कूटरचित दस्तावेज को असली की तरह उपयोग में लेते हुवे अपने कब्जे में रखा एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी डेगाना की अदालत में उक्त दस्तावेज के आधार पर मिथ्या वाद पेश किया, जिसकी जानकारी दावा का नोटिस मिलने पर सायलान एवं अप्रार्थी संख्या 4 को हुई। उक्त विक्रय दस्तावेज दानाराम ने कभी निष्पादित नहीं करवाये थे, ना ही उक्त दस्तावेजात पर अपने कभी अंगुष्ठ निशान किये हैं और ना ही प्रतिफल राशि प्राप्त की है। उक्त खसरान अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जे एवं बंट के थे। अप्रार्थी संख्या 4 के पिता ने अपने बंट की जमीन बेचान दी है, जिससे यह खसरान बेचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दानाराम जी पिछले 3 वर्षों से अत्याधिक बीमार व चलने–फिरने की स्थिति में नहीं थे एवं ना ही सोचने समझने की क्षमता रखते थे। प्रार्थना पत्र में आगे अंकन किया गया है कि विवादित विक्रय विलेख कूटरचित होने से शून्य घोषित किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण प्रकरण में सद्भाविक क्रेता है। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बुटाटी तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 121 रकबा 0.8296 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 317 रकबा 1.4300 हैक्टर सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 328 रकबा 7.2800 हैक्टर भूमि में से 3/16 हिस्से की भूमि जो प्रार्थीगण की खरीदशुदा काश्त एवं कब्जाशुदा भूमि है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण

काश्त एवं कब्जे में तथा भूमि का सर्वप्रकार से भोग एवं उपभोग करने में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी एवं दस्तन्दाजी ना तो स्वंय करे, ना ही अन्यों से करावें, ना ही अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित बेचान दस्तावेजात के आधार पर विवादित भूमि को किसी भी प्रकार से बेचान, बक्षीस, रहन व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करें, ना ही खुर्द—बुर्द करें तथा विवादित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को पाबन्द फरमाया जावें।

2. अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 ने प्रार्थना—पत्र का जवाब, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए इस आशय का पेश किया कि इन्द्रा देवी दानाराम की पुत्री नहीं है। इन्द्रा देवी के पक्ष में हुए नामांतरण से उसे विवादित भूमि पर कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। दानाराम द्वारा स्वतंत्र सहमति से सप्रतिफल विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विक्रय की गई है। इन्द्रा देवी के पक्ष में किए गए नामांतरण के दोषी पटवारी को निलंबित किया गया है और इन्द्रा व दोषी राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जो प्रकरण दर्ज करवाने का अभिवचन लिया गया है, वह भी बाद जांच उक्त मुकदमें के अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना डेगाना के द्वारा झूठा होना मानते हुवे प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा देवी व उसके पति नारायणराम द्वारा षड्यन्त्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, नामान्तकरण की कूटरचना करने व मिलावट से अवैध शून्य मिथ्या विवादित बेचाननामा की कूटरचना करने की अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने पुलिस थाना डेगाना में दिनांक 08.06.2020 को एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 व उनके सहयोगियों के विरूद्ध

मुकदमा संख्या 112 / 2020 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा०द०स० में प्रकरण पंजीबद्ध हुवा तथा बाद जांच प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 व अन्य सहयोगियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. कोर्ट डेगाना मे पेश किया, जहां इन सभी के विरूद्ध मामला विचाराधीन है। अंत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा देवी की ओर से इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सभी अभिकथनों को सही होना स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने से उनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर बंद किया गया।

5. प्रार्थी को अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित वांछित अनुतोष को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित 3 बिंदुओं को अपने पक्ष में प्रमाणित करना आवश्यक है :–

(1)प्रथम दृष्ट्या मामला

(2)सुविधा का संतुलन

(3)अपूर्णीय क्षति

6. उक्त तीनों बिन्दुओं के संबंध में बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार विवेचन इस प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :–

7. दौराने बहस वकील प्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया कि विवादित खातेदारी भूमि दानाराम के खातेदारी की थी। स्वर्गीय दानाराम के एकमात्र वारिस पुत्री इन्द्रादेवी अप्रार्थी संख्या 4 है। उक्त स्वर्गीय दानाराम के फौतगी

म्यूटेशन 709/2020 खोला जाकर उक्त पुत्री के नामसे जरिये म्यूटेशन खातेदारी दर्ज की गई और इन्द्रा ने उक्त भूमि प्रार्थीगण को पंजीबद्ध विक्रय विलेख से विक्रय कर दी। तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। दिनांक 12.09.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रामाकिशन, मायादेवी ने उक्त भूमि का कूटरचित दस्तावेज विक्रय विल्लेख तैयार कर निष्पादन करवाने के आशय से दानाराम के नाम से उक्त कृषि भूमि का विक्रय विलेख स्टाम्प खरीदकर दानाराम की उपस्थिति, सहमति एवं जानकारी के बिना सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 2 माया देवी पत्नी रामाकिशन व रामाकिशन के पक्ष में फर्जी बेचाननामा तैयार करा दिया। उक्त विक्रय दस्तावेज दानाराम ने कभी निष्पादित नहीं करवाये थे, ना ही उक्त दस्तावेजात पर अपने कभी अंगुष्ठ निशान किये हैं और ना ही प्रतिफल राशि प्राप्त की है। उक्त खसरान अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जे एवं बंट के थे। प्रार्थीगण प्रकरण में सद्भाविक क्रेता है। प्रार्थीगण ने निर्विवाद खातेदार से विवादित कृषि भूमि खरीदी है और बोनाफाइड प्रचेजर है, जिनका विवादित भूमि पर कब्जा है, जिस संबंध में उपधारणा की विधि भी मौजूद है। दानाराम ने कभी भी अप्रार्थीगण के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया। विवादित कृषि भूमि में इन्द्रा की सहदायिकी थी, जिस कारणवश दानाराम विवादित कृषि भूमि का आधे से ज्यादा हिस्सा नहीं बेच सकता था। इन्द्रा के पहचान पत्र में दानाराम पिता के रूप में दर्ज है। जवाब दावे के तथ्य साक्ष्य से साबित या नासाबित होंगे। आज दिनांक तक दानाराम व उसके पत्नी का तलाक नहीं हुआ और इन्द्रा ही दानाराम की पुत्री है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में तय किए जाने का निवेदन किया गया।

8. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से तर्क दिया गया कि इन्द्रा देवी दानाराम की पुत्री नहीं है। इन्द्रा देवी के पक्ष में हुए नामांतरण से उसे विवादित भूमि पर कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। दानाराम द्वारा स्वतंत्र सहमति से सप्रतिफल विवादित भूमि

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विक्रय की गई है। इन्द्रा देवी के पक्ष में किए गए नामांतरण के दोषी पटवारी को निलंबित किया गया है और इन्द्रा व दोषी राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जो प्रकरण दर्ज करवाने का अभिवचन लिया गया है, वह भी बाद जांच उक्त मुकदमें के अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना डेगाना के द्वारा झूठा होना मानते हुवे प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 इन्द्रा देवी व उसके पति नारायणराम द्वारा षड्यन्त्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, नामान्तकरण की कूटरचना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने पुलिस थाना डेगाना में मुकदमा संख्या 112/2020 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा०द०स० में प्रकरण पंजीबद्ध करवाया तथा बाद तफ्तीश प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 व अन्य सहयोगियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. कोर्ट डेगाना मे पेश किया, जहां इन सभी के विरूद्ध मामला विचाराधीन है। इन्द्रा व पटवारी के विरूद्ध आरोप विरचित हो चुके हैं। दानाराम की मृत्यु दिनांक 19.05.2003 को हुई और वह विवादित कृषि भूमि का खातेदार था, जिसने दिनांक 12.09.2018 को माया व रामाकिशन के पक्ष में विवादित कृषि भूमि को विक्रय कर दिया। इन्द्रा ने राजस्व न्यायालय में दिनांक 04.12.2018 को दावा पेश किया था, जिसमें एकपक्षीय स्थगन पारित किया गया, परंतु बाद में दानाराम से राजीनामा होना बताकर इन्द्रा ने दावा जरिये विड्रो खारिज करवा लिया और दिनांक 01.06.2020 को इन्द्रा ने प्रार्थी को विवादित भूमि विक्रय कर दी। इन्द्रा के पक्ष में किए गए फर्जी नामांतरण के विरोध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें इन्द्रा और पटवारी के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए हैं। हस्तगत कार्यवाही खेताराम वगैरह की ओर से की जा रही है, जबकि इन्द्रा ने कोई दावा पेश नहीं किया है। पिता के जीवनकाल

में पुत्री को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दानाराम का नाम इन्द्रा के दस्तावेज में मौजूद नहीं है। इन्द्रा ने दानाराम के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की। इन्द्रा के पहचान दस्तावेज में पिता का नाम पुनाराम दर्ज है और विवादित कृषि भूमि हड़पने के लिए उसने बाद में पहचान दस्तावेज में अपने पिता का नाम परिवर्तित किया। विवादित भूमि पर कब्जा वर्तमान में रामाकिशन व माया का है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किए जाने का निवेदन किया गया।

9. सुना गया एवं उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से एक लिखत पेश की गई है, जिसके अनुसार गांव वालों की मौजूदगी में तथा सरपंच की मौजूदगी में दानाराम ने हरकाराम के साथ एक लिखत निष्पादित की है, जिसमें दानाराम की ओर से इस आशय का अंकन है कि भंवरी व दानाराम के विवाह के बाद संबंध बिगड़ जाने से उसे तलाक दिया जा रहा है और उसकी छोटी बच्ची भंवरी के पास रहेगी और बालिग होने पर मेरे पास आ सकेगी। उक्त लिखत दिनांक 18.07.1981 की होना बताई गई है। हालांकि इसका मूल दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। पत्रावली के साथ मौजूद राजस्व रिकॉर्ड से विवादित कृषि भूमि की खातेदार इन्द्रा होना प्रकट होती है। यह सही है कि इन्द्रा व संबंधित पटवारी के विरूद्ध इस न्यायालय में कूटरचना के संबंध में आरोप विरचित किए गए हैं, परंतु उक्त आपराधिक कार्यवाही सिविल कार्यवाही पर अभिभावी प्रभाव नहीं रखती है। प्रकरण में पक्षकारों के बीच में राजस्व एवं सिविल कार्यवाहियां लंबित है और यदि ऐसी स्थिति में विवादित कृषि भूमि को आगे विक्रय किया जाता है, तो प्रकरण में पेचिदगियां उत्पन्न होगी। उभयपक्षों के अभिवचन विचारण के दौरान साक्ष्य से ही साबित और नासाबित होंगे। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि आगे विक्रय न करने की हद तक प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति :—

10. उक्त दोनों बिंदु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में वकील प्रार्थीगण का तर्क है कि यदि विवादित कृषि भूमि को आगे विक्रय कर दिया जाता है, तो प्रार्थी को नुकसान होगा, जिसकी रूपयों में भरपाई नहीं हो पायेगी और प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ेगा एवं प्रार्थना पत्र लाने का मकसद समाप्त हो जाएगा। उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण द्वारा बेबुनियादी आरोप अप्रार्थीगण पर लगाये गये हैं। इन्द्रा देवी दानाराम की पुत्री नहीं है। इन्द्रा देवी के पक्ष में हुए नामांतरण से उसे विवादित भूमि पर कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। दानाराम द्वारा स्वतंत्र सहमति से सप्रतिफल विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विक्रय की गई है। प्रार्थीगण द्वारा आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई असुविधा या क्षति कारित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किए जावें।

11. सुना गया एवं उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस स्तर पर यदि विवादित कृषि भूमि को आगे विक्रय कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं अपूर्णीय क्षति का सामान करना पड़ेगा और प्रकरण में अनावश्यक कानूनी पैचीदगियां पैदा होगी। यदि मूल वाद के निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण कर दिया गया, तो प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में धन के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः इस प्रक्रम पर प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में तय किए जाते हैं।

–:: <u>आदेश</u> ::–

12. अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित कृषि भूमि के संबंध में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा न्यायालय की अनुमति के बिना विवादित भूमि आगे विक्रय नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रहे।

(राजेश्वर विश्नोई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र

13. यह आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश्वर विश्नोई)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
डेगाना, मेड़ता न्यायक्षेत्र